



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक- 6932 / प्र०नि० / का०प्र० / अ०अ०-1 / सहा०अभि०-03

दिनांक- 10/07/2015

कार्यालय झाप

एतद्वारा कारपोरेशन के आदेश सं०-11-अ०प्र०- 04/पाकालि/2015-09(5)/2015 दिनांक 08.07.2015 द्वारा स्थानान्तरण पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा को आवंटित अधोनामित सहायक अभियन्ता को अग्रेत्तर तैनाती हेतु स्तम्भ सं०-4 में उल्लिखित इकाई/स्थान को आवंटित किया जाता है:-

क्र०सं०	सहायक अभियन्ता का नाम (अभि०सं०) (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण पर तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री यशेन्द्र कुमार (2014326) (मेरठ)	उपखण्ड अधिकारी-तृतीय, मलवा, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फतेहपुर। (पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०)	मुख्य अभियन्ता (वितरण), अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़।

1. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं० 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.07 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
2. स्थानान्तरित अधिकारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के, स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यमुक्त किया जायेगा।
3. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं० 5910/गोपनीय/पाकालि/(06)/2006, दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या पर अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक- 6932 / प्र०नि० / का०प्र० / तददिनांक 10 / 07 / 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वाणिज्य) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं का०प्र०) द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।
5. अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ ऑफीसर, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फतेहपुर।
8. उप सचिव (अ०प्र०-03/04) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी।
10. पी०एफ०/कट फाइल/प्रबन्ध निदेशक (कैम्प)।


(अशोक कैम्)

अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन)